GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX,
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.1/Ex/PQ/2021-22/ 682

Dated: 24.03.2021

To,

The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: Reply with respect to Un-starred Question No.107 raised by Sh. Om Prakash Sharma.

Sir,

Please refer to your letter No.F11(B-1) VI/2020-25/VSS/QB/3168 dated 17.03.2022 on the subject cited above. I am to enclose herewith reply of the above mentioned question.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Encl: As above.

ASSISTANT COMMISSIONER (PQ)

विभाग का नाम :– आबकारी विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता :–L-ब्लॉक, विकास भवन, I.T.O, I.P.Estate, Delhi -110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 107

दिनांक :– 28.03.2022

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली में वर्ष 1998, वर्ष 2003, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2020 शराब की कुल कितनी अधिकृत दुकानें थी और अब मार्च 2022 में शराब की कुल कितनी दुकानें हैं;	(1) आबकारी नीति 2021–22 लागू होने से पूर्व कुल 849 दुकानों को लाइसेंस दिया गया था। (2) आबकारी नीति 2021–22 लागू होने के पश्चात कुल दुकानों की संख्या 601 हैं । (3) वर्ष 1998, 2003 एवं 2010 में शराब की कुल दुकानों से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(ख) वित्त वर्ष 2021–2022 में दिल्ली सरकार को आबकारी कर के रुप में कुल कितना राजस्व की प्राप्ति हुई;	(अ) वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिल्ली सरकार को आबकारी राजस्व के रूप में दिनांक 20.03.2022 तक कुल 4900.20 करोड़ रूपये प्राप्त हुए, जबकि संशोधित बजट अनुमान में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 4700 करोड़ रुपये था।
(ग) एक विधान सभा क्षेत्र व एक निगम वार्ड में अधिक से अधिक कुल कितनी शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं;	नई आबकारी नीति 2021–22 के परा 4.1.4. के तहत 68 विधान सभा क्षेत्रों को 30 जोन में बांटा गया है । हर जोन में 9–10 वार्ड होंगे और प्रत्येक जोन में अधिकतम 27 रिटेल दुकाने खोलने की अनुमति है । हालाँकि हर जोन के ऑपरेटर (L&7 Z Licensee) को एक निगम वार्ड में 2 अनिवार्य और बाकी फ्री होल्ड दुकान खोलने का प्रावधान है।
(घ) ऐसे कौन–कौन से स्थान हैं, जिनसे एक	दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 51(1)

न्यूनतम दूरी तक शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं और यह न्यूनतम दूरी कितनी रखी गयी हैं;	के अंतर्गत कोई भी दुकान निम्नलिखित स्थानों से सौ फीट की दूरी पर नहीं खोली जा सकती है। (अ) प्रमुख शैक्षणिक संस्थान (सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संसथान); (व) धार्मिक स्थान (पक्का ढांचा जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट से ज्यादा हो) (सी) पचास बिस्तर और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल ।
(ड) क्या आवासीय कल्याण समितियों, क्षेत्रीय विधायकों एवं निगम पार्षदों के आपत्ति एवं विरोध के बावजूद उनके क्षेत्र में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं;	दिल्ली में आबकारी विभाग द्वारा दुकान खोलने का लाइसेंस, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009, दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 तथा आबकारी निति 2021—22 में वर्णित नियमो एवं दिशा निर्देश के अनुपालन के पश्चात ही दिया जाता है.

हस्ताक्षर

आबकारी आयुक्त

Arava Gopi Krishna
Commissioner (Excise)